न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 84/2025 (GCMS: 2025/371)

चावली देवी पत्नी कृष्णनाथ जाति नाथ निवासी वार्ड नं. 1, चक 6 एलएमएस, तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **कृष्णनाथ** पुत्र गिरधारी जाति नाथ निवासी चक 6 एलएसएम हाल चक 9 एलएसएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) 96499–23968
2. **अनिल नाथ** पुत्र कृष्णनाथ जाति नाथ निवासी चक 9 एलएसएम खोखरांवाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर – 98284–97593
3. **विजयपाल** पुत्र कृष्णनाथ जाति नाथ निवासी चक 6 एलएसएम हाल लूणकरणसर रोजा रोड़ से 2 किलोमीटर ढाणी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर – 97828–86124

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चावली देवी एवं अप्रार्थी संख्या 2 अनिल नाथ एवं अप्रार्थी संख्या 03 विजय पाल उपस्थित नहीं हुए। अप्राथी संख्या 01 की ओर से उनके विधिमित्र श्री सुरेश अरोड़ा उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार से है कि

प्रार्थिया जो 70 वर्षीय वृद्ध औरत है, जो अक्सर बीमार रहती है और आंखो से बहुत कम दिखाई देता है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपीलांट के पुत्र है एवं अप्रार्थी संख्या 1 अपीलांट के पति हैं अपीलांट की दो शादीशुदा पुत्रियां है, जिन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। रेस्पोडेंट ने अपीलांट को घर से निकाल दिया है, जिस पर अपीलांट गत पांच वर्षो से अपनी पुत्री पार्वती के पास निवास कर रही है।

अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 अपीलांट का भरण पोषण नहीं करते है जबकि रेस्पोडेट संख्य 1 से 3 के पास मुरब्बा न. 310/391 में 11 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि है, जिससे लगभग 6–7 लाख रूपये सालाना आय होती है तथा रिहायशी मकान है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 [illegible] सम्पन्न व्यक्ति है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को मात्र 2000 रूपये दिलवाने के आदेश दिये है। अपीलांट को भरण पोषण के रूप में 10,000/– रूपये प्रतिमाह दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विधि मित्र श्री सुरेश अरोडा ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1, अपीलांट के पति है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत पोषणीय नहीं है। इसलिए अपीलांट श्रीमान् न्यायालय में माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जारी नोटिस विधिक तामील के बावजूद उपस्थित नहीं, इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

मैनें, अप्रार्थी संख्या 1 की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ के आदेश दिनांक 19.08.2025 के विरूद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण में निवेदन किया है कि अपीलार्थियां 70 वर्षीय वृद्ध औरत है, जो अक्सर बीमार रहती है और आंखों से बहुत कम दिखाई देता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने अपीलार्थी को मानसिक और शारिरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। इसलिए अपीलार्थियां गत पांच वर्षों से अपनी पुत्री पार्वती के पास निवास कर रही है। पंचायत में रेस्पोडेंट ने अपीलांट का भरण पोषण करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की कृषि भूमि से लगभग 6–7 लाख रूपये की सलाना आय होती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के जीवन यापन हेतु 2000 / – रूपये प्रतिमाह अदा करने के आदेश को अपास्त कर, अपीलांट को रेस्पोडेंट से 10,000 / – रूपये प्रतिमाह भरण पोषण हेतु दिलाये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने दिनांक 19.08.2025 को निर्णय पारित कर निम्न आदेश दिया गया था:

> **प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया के जीवन यापन हेतु प्रतिमाह 2000 / – रूपये (दो हजार रूपये मात्र)** अदा करें तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 उक्त राशि प्रार्थिया **के खाता संख्या 2625001700006069 बैंक – पंजाब नेशनल बैंक में प्रत्येक माह की 5 तीारख तक जमा करवाये एंव जमा पर्ची प्रतिमाह न्यायालय में पेश किया जाना सुनिश्चित करें।**

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के उक्त निर्णय दिनांक 19.08.2025 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **2(क) ''सन्तान'' के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार **पति, सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।** अप्रार्थी संख्या 01–कृष्णनाथ से अपीलार्थिया किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकती।

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम **2007 की धारा 2(ख) निम्नानुसार अवलोकनीय है:**

> **2(ख) ''भरण पोषण'' के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज हेतु** व्यवस्था सम्मिलित है,

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत भरण पोषण के तहत भोजन, कपड़े, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है।

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थीगण भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्रों से भरण पोषण का हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

> 4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–
>
> (1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो **अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–**
>
> (i) माता–पिता या पितामही, पितामह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।
>
> (ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।
>
> (2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तान या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की **आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:22 IST
Reason: SelfAttested

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से **स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है।** माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का **भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 9(2)** निम्न प्रकार से अवलोकनीय हैः

9. **भरण पोषण** हेतु आदेश : (1) यदि सन्तान या सम्बन्धी, जैसी स्थिति हो, वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं का भरण पोषण करने से उपेक्षा करने में असमर्थ है, भरण–पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी सन्तानों या सम्बन्धियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता, जैसा कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसका भुगतान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय–समय से निर्देश दे।

(2) अधिकतम भरण पोषण भत्ता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा, ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, जो प्रतिमास दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी चावली देवी की कुल 04 संतान है, जिसमें अपीलार्थिया ने अपनी दो पुत्रियों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। रेस्पोडेंट संख्या 02 एवं 03 के पास चक 6 एलएसएम में कृषि भूमि है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2025 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण पोषण / गुजारा भत्ता बढ़ाये जाने की मांग भी की है। **माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए** अप्रार्थी का अपीलार्थी के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अपीलार्थिया के पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 02– अनिल नाथ एवं रेस्पोडेंट संख्या 03– विजयपाल को आदेशित किया जाता है कि वह 5000/– प्रतिमाह अपीलार्थी के बैंक खाते में जमा करवायेगे। अपीलार्थी के दोनों पुत्र उक्त राशि माह जून, 2026 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व अपीलार्थिया के खाते में जमा करवायेगें। अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह **प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे। अप्रार्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान न करें, अपशब्द न कहें, अच्छा व्यवहार करें और नम्रता से पेश आयें।**

अतः उक्त विवेचन एवं कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भी भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:22 IST
Reason: SelfAttested